संख्या-01/2017/07/35-1-2017-6/8(3)/2015

प्रेषक,

राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊःदिनांकः 04 जनवरी, 2017***

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुशासन के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये एक योजना संचालित करने हेतु इस क्षेत्र में प्रदेश में कार्यरत अच्छी संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हुए अधिकतम आवश्यकतानुसार राज्य इनोवेशन कौंसिल की संस्तुति पर एक वर्ष के लिये राज्य सरकार की ओर से ग्राण्ट देकर संचालन सपोर्ट किया जाना है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग में गठित सेल के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2) नियोजन विभाग में वित्त नियंत्रक वर्तमान में तैनात है तथा धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के तहत की जानी होगी। अतः वित्त नियंत्रक की भी सहमति आवश्यक होगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि के व्यय का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016

http://sugamsanadesh.up.nic.in

तथा दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) जहॉ आवश्यक हो, वहॉ शासन/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-सुशासन के क्षेत्र में इनोवेशन करने वाली सामाजिक संस्थाओं/संगठनों को बढ़ावा देने हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के निर्देशानुसार से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 01/2017/ 07(1)/35-1-2017 -तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in